रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1972/माघ 2, 1893

No 34] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1972[MAGHA, 2, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January 1972

G.S.R. 55(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the first day of February, 1972.

2. In rule 6 of the Indian Post Office Rules, 1933, in the Schedule, the entries relating to "Ceylon", following entries shall be substituted, namely:—

Destination	Rates of air male fee for each 10 grams or fraction thereof (payable in addition to surface postage)				Rates of postage inclusive of air mail fee			
	Letters		Printed papers (including newspapers) literature for the blind and small packets.		Postcards		Aerogrammes	
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
"(b) Ceylon	0	15	0	10	0	65	0	75

[No. 10/1/72-D.A.]

L. K. NARAYANSWAMY,
Senior Member (Posts) & *Ex-Officio* Spl. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972.

सा०का०नि० 55 (अ):—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये फरवरी, 1972 के प्रथम दिन को प्रवृत होंगे ।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 के नियम 6 की अनसूची में, "श्री लंका" से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

गन्तव्य स्थान	प्रत्येक 10 ग्राम अथवा उसके अंश के लिए (जल-थल मार्गी डाक प्रभार के अतिरिक्त देय) हवाई डाक शुल्क की दरें		हवाई डाक शुल्क को मिलाकर डाक प्रभार की दरें	
	पत्र	मुद्रित कागज (समाचार पत्र सहित अन्य) साहित्य तथा छोटे पैकेट	पोस्टकार्ड	एरोग्राम
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
"(ख) श्रीलंका	0.15	0.10	0 65	0.75"

[सं० 10-1/72-डी ए]

एल० के० नारायणस्वामी,
वरिष्ठ सदस्य (डाक) तथा पदेन विशेष सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972